राजभाषा प्रकोष्ठ
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

hindicell2015@gmail.com
दूरभाष : 07582–297118

क्र. रा.भा.प्र. / रा.भा.प. / 62 / 2020–21 / 1610 — 01 सितम्बर, 2021

सूचना

विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 30वीं बैठक में लिए गए संकल्प (मद संख्या 5) के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले **समूह 'क'** के एक अधिकारी को राजभाषा पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अधिकारियों से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टियाँ सादर आमंत्रित हैं। प्रविष्टि भेजने हेतु अंतिम तिथि 20 सितम्बर, 2021 है।

संलग्न – निर्धारित प्रपत्र

सचिव
(राजभाषा पदक एवं पुरस्कार समिति)

प्रतिलिपि :

1. समस्त अधिकारीगण। (समूह 'क')
2. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ। – (कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।)
3. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक।
4. संबंधित नस्ती।

राजभाषा पदक एवं पुरस्कार हेतु आवेदन प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2020–21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) के दौरान कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु पुरस्कार योजना

1.	अधिकारी का नाम	: ....
2.	पदनाम	: ....
3.	विभाग / अनुभाग (जिसमें संदर्भित वित्तीय वर्ष में पदस्थ थे)	: ....
4.	हिन्दी में की गई टिप्पणियों की संख्या	: ....
5.	अपने हस्ताक्षर से हिन्दी में मूल रूप से जारी पत्रों / दस्तावेजों की संख्या	: ....
6.	प्राप्त पुरस्कार / सम्मान का ब्यौरा (यदि कोई हो तो)	: ....
7.	उक्तावधि में उल्लेखनीय योगदान	: ....
8.	राजभाषा प्रकोष्ठ / अन्य द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यक्रमों में भागीदारी (स्पष्ट उल्लेख करें)	: ....
9.	हिन्दी में भेजे गए ई–मेल की संख्या	: ....
10.	हिन्दी संबंधी प्रशिक्षण / उपाधि / डिप्लोमा	: ....
11.	कम्प्यूटर पर हिन्दी के कार्य करने की स्थिति	: ....
12.	अन्य कोई विशेष जानकारी	: ....

घोषणा पत्र

मैं ....(नाम)..(पदनाम / विभाग) घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाएँ एवं संलग्न साक्ष्य मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं। यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य असत्य हैं तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक : ....

सामान्य निर्देश :

1. आवेदन प्रपत्र के साथ सभी साक्ष्यों की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें।
2. निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. एक बार आवेदन प्रपत्र (साक्ष्य/दस्तावेजों सहित) जमा होने के उपरांत उसमें अन्य कोई दस्तावेज जोड़े या घटाए नहीं जा सकेंगे।
4. आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित न होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय के केवल समूह 'क' के अधिकारीगण ही राजभाषा पुरस्कार के पात्र होंगे।
6. तकनीकी/प्रोफेशनल/विशिष्ट योग्यता वाले कार्यालयों/अनुभागों के अधिकारीगण आवेदन में अपनी विशिष्ट योग्यता से हिन्दी में किए गए नवाचार का स्पष्ट उल्लेख करें।
7. दस्तावेजों के साक्ष्य के तौर पर केवल उन्हीं पत्रों/आदेशों/परिपत्रों/दस्तावेजों को मान्य किया जायेगा जिन्हें वास्तव में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी किया गया है आवश्यक होने पर समिति द्वारा किसी भी समय किसी भी संलग्न दस्तावेज की जाँच की जा सकती है।
8. 'एक ही प्रकृति के दस्तावेज' या 'दस्तावेजों की पुनरावृत्ति' स्वीकार्य नहीं होगी।
9. पदक प्रदान किए जाने में समिति/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।